

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 (शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
 कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679
 फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- deanlibrary@gmail.com
 वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

क्रमांक / 211 / S.O.E. / 2022

इन्दौर, दिनांक 21.02.2022

// विज्ञप्ति //

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अतंगत स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फार आई (School of Excellence for Eye) के निम्न पदों पर (नेत्ररोग के लिये) नियुक्तियों की जाने हेतु श्रेणीवार पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्रं	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	रोस्टर					रिमार्क
				UR	SC	ST	OBC	EWS	
1.	सह प्राध्यापक (कार्निया नेत्र रोग)	2,50,000/- (निश्चित वेतन)	01	01	-	-	-	-	-
2.	सह प्राध्यापक (बाल्य नेत्ररोग)	2,50,000/- (निश्चित वेतन)	01	01	-	-	-	-	-
3.	सहायक प्राध्यापक (नेत्र रोग)	1,50,000/- (निश्चित वेतन)	02	-	-	01	01	-	-
कुल पद			04	02	-	01	01	-	-

नोट :- पदों की संख्या में आवशकता होने पर कमी या वृद्धि की जा सकती है।

उक्त पद पर नियुक्त हेतु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं आवेदन पत्र कार्य दिवस में जमा करने की अंतिम तिथि 15.03.2022 को सायं 05.00 बजे तक है। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, की जानकारी एवं शुल्क इत्यादि की जानकारी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट www.mgmmcindore.in पर उपलब्ध है, आवेदन का प्रारूप उक्त वेबसाईट से डाउनलोड करें।

आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से C.E.O.&Dean, Government Autonomous M.G.M. Medical college, Indore (म.प्र.) 452001 के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराए जा सकते हैं।

स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फार आई (School of Excellence for Eye) हेतु आवेदन फॉर्म में तथा लिफाफे पर आदेदित पद के नाम का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विद्यार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि पृथक से संस्था की वेबसाईट के माध्यम से सूचित की जावेगी।

(डॉ. संजय देशपांडे)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अर्हताएँ :-

संक्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सह प्राध्यापक (कार्निया नेत्र रोग)	35 वर्ष	<p>1. नेत्र रोग में एम.एस।</p> <p>2. सहायक प्राध्यापक नेत्ररोग में एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 04 वर्ष का अनुभव।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>01 वर्ष की कार्निया नेत्र रोग में फेलोशिप तत्पश्चात् 10 वर्ष का संबंधित विभाग में कार्य करने का अनुभव।</p> <p>3. नेत्र रोग के इन्डेक्स जर्नलस में शोध प्रकाशन (कम से कम 02)</p> <p>4. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग के सम्मेलनों में शोध प्रस्तुत करने को प्राथमिकता।</p>	65 वर्ष
2	सह प्राध्यापक (बाल्य नेत्ररोग)	35 वर्ष	<p>1. नेत्र रोग में एम.एस।</p> <p>2. सहायक प्राध्यापक नेत्ररोग में एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 04 वर्ष का अनुभव</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>01 वर्ष की बाल्य नेत्र रोग में फेलोशिप/सुपर स्पेशिलिटी नेत्र संस्था में संबंधित विभाग में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p> <p>3. नेत्र रोग के इन्डेक्स जर्नलस में शोध प्रकाशन (कम से कम 02)</p> <p>4. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग के सम्मेलनों में शोध प्रस्तुत करने को प्राथमिकता।</p>	65 वर्ष
3	सहायक प्राध्यापक (नेत्र रोग)	30 वर्ष	<p>1. नेत्र रोग में एम.एस.</p> <p>2. एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 01 वर्ष की नेत्र रोग में सीनियर रेसीडेंटशिप।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>संबंधित विशेषज्ञता में फेलोशिप।</p> <p>3. नेत्र रोग के इन्डेक्स जर्नलस में शोध प्रकाशनकर्ता को प्राथमिकता।</p>	65 वर्ष


(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

निरहताये:-

- विकृत धित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य गोथ एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकरी माना जाएगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसके शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

सेवा शर्ते:-

1. चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्रायवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।
2. वार्षिक वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।
3. भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रता अनुसार देय होगा।
4. विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर तथा एक बार देश के बाहर वायुयान किराया दैनिक भत्ता, एवं वर्कशॉप/सेमीनार शुल्क दिया जाएगा।
5. निशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जाएगी। गृहभाड़ा भत्ता देय नहीं होगा।
6. एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्य आधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जाएगा।
 - (अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।
 - (ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में रखे गये मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।
7. चिकित्सा शिक्षक को 3 वर्ष की सेवा देने के लिये बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। 3 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे एक वर्ष का वेतन रकूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के अंतर्गत जमा कराना होगा।
8. साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 4 गाह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताएं सेवाएं समाप्त कर सकेगी।

9. शैक्षणिक संवर्ग के लिये अवकाश आचरण एवं अधिवार्षिकी आयु के संबंध में मध्यप्रदेश सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे तथा सह चिकित्सकीय संवर्ग के लिये चिकित्सकीय संवर्ग आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे तथा गैर शैक्षणिक संवर्ग के लिये गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम लागू होंगे। जिनका अवलोकन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी की वें आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूर्ण करते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनहीं एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।


(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

आवेदन का प्रारूप

सह-प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (स्कूल आफ एक्सीलेन्स फार आई) के पद पर नियुक्ति हेतु
आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि 15/03/2022)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

आवेदन शुल्क रूपये अनारक्षित-2000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 1500/- का आनलाईन (NEFT/UPI, etc.)

स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम.वाय.एच.केम्पस, इन्दौर के (Account No. 53003590071)

(IFSC :- SBIN0030359) (M.G.M.Medical College, (Autonomous Society) Indore

के नाम से जमा कर रसीद संलग्न करें। (डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे।)

आवेदित पद का नाम — (आवेदक द्वारा स्पष्ट भरा जावे)

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड़ सहित).....

शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....

शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें) 01.03.2022 को आयु.....वर्ष.....माह.....दिवस.....
8. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
9. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
अ. (एम.बी.बी.एस.)—
ब. एमएस—
10. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अधीक्षक के पद के अनुसार योग्यता अंकित करें

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विवि.	वर्ष	विधय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MS ophthalmology						

(प्रत्यंक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट:-प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो सकता है।

11. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार यहण का दिनांक	कुल शैक्षणिक अनुभव
1	सह प्राध्यापक		
2	सहायक प्राध्यापक		

संबंधित विषय में FELLOWSHIP

12. रिसर्च पब्लिकेशन :—“संलग्न प्रारूप अनुसार

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन की संख्या एमसीआई नाम्स अनुसार
1	सह प्राध्यापक	
2	सहायक प्राध्यापक	

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करे)।

1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वीं की अंकसूची
2. एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफ अंकसूची
3. एमबीबीएस सेकण्ड प्रोफ अंकसूची
4. एमबीबीएस थर्ड प्रोफ अंकसूची पार्ट-1
5. एमबीबीएस फाईनल प्रोफ अंकसूची
6. एम.बी.बी.एस. डिग्री
7. एम.बी.बी.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
8. एमएस डिग्री
9. एम.डी./एम.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
10. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.बी.बी.एस)
11. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.डी./एम.एस.)
12. रिसर्च पब्लिकेशन
13. जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है)
14. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
15. आधार कार्ड
16. प्रशिक्षण/कांफेस पुरस्कार प्रमाणपत्र
17. आवेदन शुल्क रूपये अनारक्षित-2000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 1500/- का आरटीजी.एस. की रसीद।

नोट:- पदों की आवश्यक शैक्षणिक व वॉचनीय अर्हताये संस्था की वेबसाइट (www.mgmmcindore.in) पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित पद की अर्हताये आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर आवेदन पत्र की पूर्ति करे।

स्थान.....
दिनों क.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सके गा।
2. मेरे विलङ्घ पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर.दर्ज नहीं है, और मेरे विलङ्घ कोई जोँच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विलङ्घ इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विद्याराधीन है।
4. म.प्र. शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में स्कूल ऑफ एविसलेंस फॉर आई के नियारित नियम गुप्त पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर